

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांवडी (नागौर)

बड़जलास श्री गौरीशंकर शर्मा, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या : 178/2018

वादी-

- 1-दुर्गाशम पुत्र भैराराम जाति कुम्हार  
निवासी लीलीयां तहसील रियांवडी

बनाम

प्रतिवादीगण :-

- 1-संजय पुत्र भंवराराम  
2-पपुराम पुत्र भंवराराम  
3-मंजुदेवी पुत्री भंवराराम  
4-लोता पत्नि भंवराराम  
5-परमादेवी पुत्री भैराराम  
6-कमलादेवी पुत्री भैराराम  
7-धेवरराम पुत्र सदाशम फौत के कायम मुकाम  
7/1-कमलादेवी पत्नि धेवरराम  
7/2-दिनेश पुत्र धेवरराम  
7/3-अशोक पुत्र धेवरराम  
7/4-राजुदेवी पुत्री धेवरराम  
7/5-मंजुदेवी पुत्री धेवरराम  
सर्वा जातिभक्त कुम्हार निवासी लीलीयां तहसील रियांवडी  
10- तहसीलदार रियांवडी  
11-पटवारी हलका लीलीयां

दावा दावत खातेदारी घोषणा अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :- 04.06.2018

वादी द्वारा निम्न वाद विरुद्ध प्रतिवादी के प्रस्तुत है:-

- 1-यह है कि वादी व प्रतिवादी गण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है हिन्दु है व हिन्दु विभाकरा शाखा से गर्वन होते है।  
2-यह है कि ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3300 हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में से 1/2 भाग में से 1/6 भाग वादी के पिता भैराराम व 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 7 धेवरराम का आया हुआ है व भौजा लीलीयां के खसरा नंबर 2887 रकबा 1.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2888 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नंबर 2889 रकबा 0.9700 हैक्टर, कुल रकबा 3.53 हैक्टर में से 1/3 भाग में से 1/6 भाग वादी के पिता व 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 7 धेवरराम जी का आया हुआ है। व भौजा लीलीयां के खसरा नंबर 2300 रकबा 1.4800 हैक्टर में से 1/6 भाग वादी के पिता व 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 7 धेवरराम जी की खातेदारी का आया हुआ है। जो वादी की पैतृक आराधना कार्य हुई है। वादी के पिता भैराराम जी का भी देहान्त हो चुका है व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता व प्रति भंवराराम जी का भी देहान्त हो चुका है। जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। व

( 2 )

दुर्गाराम बनाम संजय

प्रतिवादीगण संख्या 7 घेवरराम का भी देहान्त हो चूका है। जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सह खातेदारी की भूमि है।

3-यह है कि पैरा नंबर 2 में वर्णित आराजी को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

4-यह है कि मुतनाजा आराजी का बंट किया हुआ है। व इसके अलावा जो आराजी थी उसका बंटवारा किया हुआ है। इसलिए निम्न प्रकार से घोषणा की जावे।

1-वादी दुर्गाराम के हक में निम्न प्रकार से घोषणा की जावे।

ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में संप्रतिवादी संख्या 3 परमादेवी के स्थान पर वादी के हक में घोषित की जावे।

2-प्रतिवादी संख्या 1 संजय व 2 पपूराम के हक में निम्न प्रकार से घोषणा की जावे :-

ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में सें कमलादेवी पुत्री भैराराम व समूदेवी पुत्री भंवरराम व सीता पत्नि भंवरराम के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में घोषित की जावे।

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 2887 रकबा 1.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2888 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नंबर 2889 रकबा 0.9700 हैक्टर, कुल रकबा 3.53 हैक्टर में सें कमलादेवी, परमादेवी पुत्रिया भैराराम, समूदेवी पुत्री भंवरराम व सीता पत्नि भंवरराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में घोषित की जावे।

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 2300 रकबा 1.4600 हैक्टर में सें कमलादेवी, परमादेवी, पुत्रियां भैराराम, समूदेवी पुत्री भंवरराम व सीता पत्नि भंवरराम के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में घोषित की जावे।

3-प्रतिवादी संख्या 7/2 दिनेश के नाम से निम्न प्रकार घोषित की जावे-

ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 7/4 राजूदेवी पुत्री घेवरराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7/2 दिनेश के हक में घोषित की जावे।

4-प्रतिवादी संख्या 7/3 अशोक के नाम से निम्न प्रकार घोषित की जावे।

ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण मंजुदेवी पुत्री घेवरराम व कमलादेवी पत्नि घेवरराम के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 7/3 अशोक के हक में घोषित की जावे।

राजस्व लोक अदालत  
कम्प  
रियां बड़ी.

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 2300 रकबा 1.46 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण राजूदेवी, गंजुदेवी पुत्री घेवरराम व कमलादेवी पत्नि घेवरराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7/3 अशोक के हक में घोषित की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के जबाब हेतु तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण के कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पढकर सुनाया गया, सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदीयो का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की है। वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है। इसलिए अपने नाम खातेदारी घोषणा करवाना चाहते हैं। जो उचित है।

अतः वादी का वाद जरिए राजीनामा के स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के नाम निम्न प्रकार से खातेदारी की घोषणा की जाती है।

1-वादी दुर्गाराम के हक में निम्न प्रकार से घोषणा की जावें।

ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में सें प्रतिवादी संख्या 3 परमादेवी के स्थान पर वादी के हक में घोषित की जावें।

2-प्रतिवादी संख्या 1 संजय व 2 पूराम के हक में निम्न प्रकार से घोषणा की जावें :-

ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में सें कमलादेवी पुत्री भेराराम व समूदेवी पुत्री भंवरराम व सीता पत्नि भंवरराम के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में घोषित की जावें।

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 2887 रकबा 1.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2888 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नंबर 2889 रकबा 0.9700 हैक्टर, कुल रकबा 3.53 हैक्टर में सें कमलादेवी, परमादेवी पुत्रिया भेराराम, समूदेवी पुत्री भंवरराम व सीता पत्नि भंवरराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में घोषित की जावें।

मौजा लीलीयां के खसरा नंबर 2300 रकबा 1.4600 हैक्टर में सें कमलादेवी, परमादेवी, पुत्रियां भेराराम, समूदेवी पुत्री भंवरराम व सीता पत्नि भंवरराम के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में घोषित की जावें।

3-प्रतिवादी संख्या 7/2 दिनेश के नाम से निम्न प्रकार घोषित की जावें-

ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 7/4 राजूदेवी पुत्री घेवरराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7/2 दिनेश के हक में घोषित की जावें।

4-प्रतिवादी संख्या 7/3 अशोक के नाम से निम्न प्रकार घोषित की जावें।

ग्राम लीलीयां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2793 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर 2839 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2840 रकबा 0.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2841 रकबा 0.3800

( 2 )

दुर्गाशाम बनाम राजय

हैक्टर, खसरा नंबर 2842 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 2848 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2849 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 2850 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 2851 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2852 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नंबर 2853 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नंबर 2854 रकबा 0.2000 हैक्टर, कुल रकबा 3.2300 हैक्टर में से प्रतिवादीगण मंजुदेवी पुत्री घेवरराम व कमलादेवी पत्नि घेवरराम के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 7/3 अशोक के हक में घोषित की जावें।

भौजा लीलीयां के खसरा नंबर 2300 रकबा 1.46 हैक्टर में से प्रतिवादीगण राजजूदेवी, मंजुदेवी पुत्री घेवरराम व कमलादेवी पत्नि घेवरराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7/3 अशोक के हक में घोषित की जावें।

तहशीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड दुरुस्त किया जावें।

नोट:- उपरोक्त खसरा नं में बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन यथावत रहेगा।

( गौरीशंकर शर्मा )  
उपसमूह अधिकारी, रियांबड़ी  
राजस्व बंदी (अदालत)  
कैम्प-निम्बोला विश्वा

निर्णय दिनांक 4.6.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प निम्बोला विश्वा में सुनाया गया ।

( गौरीशंकर शर्मा )  
उपसमूह अधिकारी, रियांबड़ी  
राजस्व बंदी (अदालत)  
कैम्प-निम्बोला विश्वा